

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न सं. 173\*

जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 2 अगस्त, 2018 को दिया जाना है

**वैकल्पिक परिवहन प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु पहल**

**173\*. श्रीमती कानीमोझी:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु व्यवहार्यता-अंतराल को भरने के लिए किसी प्रोत्साहन की पेशकश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या और अधिक प्रभावी पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों, जिनमें उल्लेखनीय रूप से इलेक्ट्रिक कार शामिल हैं, से संबंधित लक्ष्य को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) देश में वैकल्पिक परिवहन प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के लिए की गई अन्य पहलों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री**  
**(श्री अनंत ग. गीते)**

**(क) से (ग):** एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

\*\*\*\*\*

## विवरण

“वैकल्पिक परिवहन प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु पहल” के संबंध में श्रीमती कानीमोड़ी द्वारा पूछे गए दिनांक 02.08.2018 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 173 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के उच्चतर मूल्यों के समायोजन के लिए भारी उद्योग विभाग अपनी योजना, भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण एवं तीव्र अंगीकरण (फेम इंडिया) के अंतर्गत क्रेताओं के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के मूल्य में अप्रॉकट कटौती के लिए मांग प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है। इस स्कीम में अनेक शहरी केंद्रों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हेतु सहायता की परिकल्पना है। ऐसे वाहनों की खरीद के लिए उपलब्ध मांग प्रोत्साहनों का ब्यौरा इस स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध-13 में दिया गया है, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट ([www.dhi.nic.in](http://www.dhi.nic.in)) पर उपलब्ध है।

यद्यपि, फेम स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक कारों के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य अधिसूचित नहीं किया गया है, अब तक मांग प्रोत्साहन के माध्यम से दुपहियों, तिपहियों और चौपहियों सहित 218625 हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की सहायता की गई है। इसके अतिरिक्त, समूचे देश में स्कीम के प्रायोगिक परियोजना घटक के अंतर्गत 507 बसें मंजूर की गई हैं।

देश में वैकल्पिक मोबिलिटी प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु कुछ मुख्य पहलों का ब्यौरा अनुबंध - क में है।

\*\*\*\*\*

**देश में वैकल्पिक मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु कुछ मुख्य पहलें**

**(क) कराधान उपाय**

1. नई जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनों को पारंपरिक वाहनों के लिए 22 प्रतिशत तक उपकर के साथ 28 प्रतिशत जीएसटी की तुलना में 12 प्रतिशत जीएसटी दर (उपकर के बिना) के निचले वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कलपुर्जों पर मूल उत्पाद शुल्क (बीसीडी) से पूर्ण छूट भी उपलब्ध कराई गई है:-

(क) बैटरी पैक

(ख) बैटरी चार्जर

(ग) एसी अथवा डीसी मोटर

(घ) एसी अथवा डीसी मोटर नियंत्रक

2. ईंधन सैल वाहन के लिए कर की दर को 28 प्रतिशत की उच्चतर दर से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

3. इलेक्ट्रिक वाहनों की संभावना को बढ़ाने के लिए लिथियम ऑयन बैटरियों पर कर की दर को 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

**(ख) अनुसंधान एवं विकास प्रयास**

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया है कि चार (4) अनुसंधान समूह (इसरो, सीएसआईआर, एआरसीआई और आईआईटी मुंबई) लिथियम ऑयन बैटरी प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान कर रहे हैं। उन्हें निम्न लागत वाली लिथियम ऑयन बैटरी और वैकल्पिक बैटरी के लिए सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

5. इसरो ने इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लिथियम ऑयन सैलों से संबंधित अपेक्षित प्रौद्योगिकी विकसित की है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग हेतु भारतीय उद्योगों को लिथियम ऑयन प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) किया है।

6. फेम स्कीम के बल दिए जाने वाले क्षेत्र प्रौद्योगिकी मंच (टीपीईएम) के अंतर्गत सरकार की इस स्कीम के तहत (i) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाई-पावर डीसी चार्जर्स की डिजाइनिंग; (ii) चार्जिंग स्टेशन के लिए एक बाइडारेक्शनल इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण की डिजाइनिंग; (iii) भारतीय दशाओं में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के लिए ड्राइविंग साइकल सुनिश्चित करना/विकसित करना; (iv) भारतीय दशाओं में वास्तविक ड्राइव साइकल के आधार पर ई-दुपहियों और ई-तिपहियों के लिए नॉन-परमानेंट मैग्नेट मोटर ड्राइव का डिजाइन और विकास; (v) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वीचड रिलक्टन्स मोटर का विकास, और (vi) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगक्रनस मोटर का विकास, से संबंधित 06 परियोजनाएं अनुमोदित और मंजूर की गई हैं।

7. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सूचित किया है कि वे हाइड्रोजन और ईंधन सैलों सहित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक व्यापक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम की सहायता कर रहे हैं।

#### **(ग) गैर-राजकोषीय उपाय**

8. विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए सेवा के रूप में बिजली की बिक्री की अनुमति दी है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा।

9. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरी नम्बर प्लेट लगाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को टोल पार्किंग शुल्क, परमिटों, ट्रैफिक राशनिंग आदि के छूट जैसे प्रोत्साहन उपलब्ध कराना होगा।

#### **(घ) प्रभावी मांग प्रयास**

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) ने सूचित किया है कि उन्होंने 10,000 इलेक्ट्रिक कारों की प्रापण प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और मैसर्स टाटा मोटर्स (5050 कारें) और मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि. (4950 कारें) को लेटर ऑफ अवाईस (एलओए) जारी किया है। आगे यह सूचित किया गया है कि इन कारों को पट्टे पर/ एकमुश्त खरीद आधार पर सरकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

\*\*\*\*\*